न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 184/2015

1. लक्षमणदास पुत्र शेर सिंह जाति रमदासिया निवासी चक 1 जीएम ई नई मण्डी घड़साना ।
2. हंसराज
3. देवेन्द्र
4. पलविन्द्रपाल

पि. काबलराम जाति रमदासिया निवासीगण मिठडा तहसील फलोर जिला जलन्धर

5. अंजनराम पुत्र शेर सिंह जाति रमदासिया निवासी मिठडा तहसील फलोर जिला जलन्धर।
6. जीतो पत्नी सरवणराम जाति रमदासिया निवासी गांव चानिया तहसील नकोदर जिला जलन्धर (पंजाब)।

——अपीलांट्स

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र रासुराम जाति मेघवाल निवासी 1 जीएम ए तहसील धड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), घड़साना।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–रा. अ 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

दिनांक 31.08.2015

18/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री सोहन लाल जोशी, अभिभाषक अपीलांट

श्री कृष्ण लाल, अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 18.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.1979 को शेर सिंह ने व दिनांक 12.01.2080 को अपीलांट ख्यालीराम ने चक 1 जीएमए के मु. नं. 26/64 के कि. नं. 4, 5 ता 8 की 4.10 बीघा भूमि को स्माल पेच में आवंटन हेतु सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर दिनांक 07.03.1980 को उक्त भूमि के आवंटन का दोनों को पात्र मानते हुए जरिए लॉटरी ख्याली राम को आवंटन किया गया। जिसके विरूद्ध शेर सिंह द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 05.08.1983 को खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध शेर सिंह रेस्पों. सं. 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी सं. 357/83 पेश की जो दिनांक 11.07.1990 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कायम की गई एवं दिनांक 23.04.196 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि दिनांक 13.05.1996 को नीलामी में भाग लेने हेतु पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों। इसी क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस बनाम ख्यालीराम दिनांक

18/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

25.04.1996 को जारी किया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में ख्यालीराम द्वारा अपील सं. 289/96 पेश की । जो दिनांक 21.04.1997 को खारिज कर दी गई । तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने दिनांक 2310.03 को शेर सिंह का प्रार्थना पत्र शेर सिंह के वारिसान को रिकॉर्ड पर समयावधि में नहीं लिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अबेट कर दिया । जिसके विरूद्ध शेर सिंह के वारिसान द्वारा इस न्यायालय में अपील सं. 41/04 पेश की जो दिनांक 23.10.2003 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने आदेश दिनांक 21.03.2015 को अप्रार्थी के नाम से आवंटन दिनांक 12.01.1980 को बहाल कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि स्माल पेच की श्रेणी में आती है । प.नं. 26/64 में अपीलांट के पिता शेर सिंह की 9 बीघा भूमि व रेस्पों. सं. 1 की 11 बीघा भूमि है । अपीलांट के पिता व रेस्पों. सं. 1 ने इस भूमि को स्माल पेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । दिनांक 07.03.1980 को यह भूमि रेस्पों. सं. 1 को लॉटरी के माध्यम से आवंटित कर दी। प्रकरण राजस्व मण्डल विचाराधीन रहा एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । जब आदेश/दिनांक

18/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

07.03.1980 निरस्त हो चुका था तो पुनः उसे अधीनस्थ न्यायालय को बहाल करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट आवंटन का पात्र नहीं था । रेस्पों. का कब्जा पिछले 36 वर्षों से चला आ रहा है एवं मौके पर ढाणी बनाकर निवास कर रहे हैं। अपीलांट के पिता पंजाब के निवासी होने के कारण तथ्यों को छुपाकर 9 बीघा भूमि का आवंटन करवाया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन दिनांक 12.01.1980 को किया था वह उचित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना में नियमानुसार आवंटन किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज किया जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण सन् 1980 में विवादित भूमि आवंटन होकर प्रकरण सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन चला आ रहा है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 12.07.1990 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया एवं इस न्यायालय द्वारा भी दिनांक 21.11.2007 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया । अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.01.1980 को बहाल रखा है जबकि उक्त

18/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश अपील में खारिज हो चुका था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि नए सिरे से रिमाण्ड आदेशों की पालना में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिनांक 12.01.1980 को बहाल करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि उक्त आदेश अपील में निरस्त हो चुका था । इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनायें बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी धड़साना का आदेश दिनांक 31.08.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर एवं आवंटन नियमों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2017 को उपस्थित रहें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)